

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या

पत्रांक: वरि० नि०/ 1096 /2021-22

दिनांक 30-06-2021

खण्ड शिक्षा अधिकारी
रूदौली, अयोध्या।

आप द्वारा अपने पत्र संख्या: संविलयित विद्यालय प्रभार/386/2020-21 दिनांक 26.12.2020 द्वारा प्राथमिक विद्यालय नयागंज प्रथम एवं प्राथमिक विद्यालय नयागंज द्वितीय वि०ख० रूदौली के संविलियन के उपरान्त संविलयित कम्पोजिट विद्यालय नयागंज। में कार्यरत प्र०अ० श्रेणी के दो शिक्षकों के मध्य विद्यालय प्रभार हस्तगत कराने हेतु दिशा-निर्देश की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि वरिष्ठ शिक्षक को ही विद्यालय का प्रभार हस्तगत कराया जायेगा। उ०प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) में विहित प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों की वरिष्ठता उनके मौलिक नियुक्ति (प्राशिक्षणोपरान्त प्रथम नियुक्ति तिथि) तिथि से अवधारित की जायेगी। उक्त नियमावली के नियम 22(1) के अनुसार- "किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप से उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी; परन्तु यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किये जाय, तो उनकी वरिष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी," जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 17 या 17-क या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आये हों।"

इसके अतिरिक्त अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के मामलों में नियम 22(2) के अनुसार- "किसी अध्यापक की, जिसे नियम 21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किये जाने के दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची के सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी अध्यापक की वरिष्ठता नियम 22(1) के अनुसार उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि से अवधारित की जायेगी। किन्तु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के मामलों में नियम 22(2) के अनुसार स्थानान्तरण का आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अवधारित की जायेगी। आपके प्रेषित पत्र एवं सेवापत्रों के अनुसार कम्पोजिट विद्यालय नयागंज। के सन्दर्भित दोनों शिक्षक एक ही संवर्ग (प्र०अ० प्रा० वि०) में निम्न विवरणानुसार कार्यरत हैं-

नाम शिक्षक/शिक्षिका	जन्मतिथि	मौलिक नियुक्ति तिथि	सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद का स्थानान्तरण आदेश का पत्रांक	आदेश जारी होने का दिनांक	जनपद में नियुक्ति तिथि	प्र.अ.पद पर पदोन्नति तिथि	वरिष्ठता निर्धारण तिथि
श्री अवनीशचन्द्र श्रीवास्तव	14.10.77	02.07.2009	-	-	02.07.2009	20.08.2013	02.07.2009
श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता	02.11.81	10.02.2009	बे.शि.प./386-481/ 2013-14	31.07.2013	17.08.2013	15.09.2012	31.07.2013

अतः कम्पोजिट विद्यालय नयागंज। के उक्त दोनों शिक्षकों के सेवा अभिलेखों से स्पष्ट है कि श्री अवनीशचन्द्र श्रीवास्तव जनपद अयोध्या में अपनी मौलिक नियुक्ति तिथि 02.07.2009 से कार्यरत हैं। अतः उनकी वरिष्ठता दिनांक 02.07.2009 से तथा श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता की इस जनपद में वरिष्ठता नियम 22(2) के अनुसार अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण आदेश जारी किये जाने के दिनांक 31.07.2013 से अवधारित की जायेगी। इस प्रकार प्र०अ० श्रेणी के दोनों शिक्षकों में श्री अवनीशचन्द्र श्रीवास्तव जनपद में पूर्व से कार्यरत होने के कारण वरिष्ठ है।

अतः उक्तानुसार वरिष्ठ शिक्षक को विद्यालय का प्रभार हस्तगत कराकर प्रकरण को निस्तारित करना सुनिश्चित करें

श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता/श्री अवनीशचन्द्र श्रीवास्तव

सचिव प्रा.वि.नयागंजI प्रा.वि.नयागंजII

(सन्तोष कुमार देव पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अयोध्या।

ओडिआ का अनुपालन करते हुये अवेस्टा/मो
के अकाउंट करके/

खण्ड शिक्षा अधिकारी

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस।

पत्रांक: एस0एस0ए0/सिविल/संविलियन/ /01/ /2020-21

दिनांक: 30.5.2020

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,

जनपद-हाथरस।

विषय- संविलियन विद्यालयों के वरिष्ठता/प्रभार के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि संविलियन विद्यालयों के वरिष्ठता/प्रभार को लेकर अनेक अपेक्षायें की गयी हैं, जिनके संदर्भ में सुस्पष्ट मार्गदर्शन निम्नवत् हैं।

1. अध्यापकों के तीन संवर्ग हैं i- सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ii- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय iii- प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।

मौलिक नियुक्ति तिथि के तहत वरिष्ठता का निर्धारण उपरोक्त तीनों एक प्रकार के संवर्ग के बीच में ही किया जायेगा। एक संवर्ग की तुलना दूसरे संवर्ग से नहीं की जायेगी अर्थात् जो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में कौन वरिष्ठ है इसका निर्णय मौलिक नियुक्ति तिथि से किया जायेगा परन्तु प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के मौलिक नियुक्ति तिथि की तुलना प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से नहीं की जायेगी।

पुनः स्पष्ट करना है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक सेवा अवधि में कनिष्ठ होने के बावजूद प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से वरिष्ठ होगा।

2. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण में आये अध्यापक जिस श्रेणी/संवर्ग में जनपद में आयेगें, जनपद में उनकी वरिष्ठता की गणना उनके जनपद में आने की तिथि से की जायेगी, न कि उनकी मौलिक नियुक्ति से। सन्दर्भ रहे कि, - अन्तर्जनपदीय ट्रांसफर में आये अध्यापकों के जनपद हाथरस में आगमन की तिथि वो होगी जिस दिन इनका सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के यहां से आदेश हुआ होगा।

3. (i) मृतकाश्रित अध्यापक के संबंध में उनके मौलिक नियुक्ति तिथि उनके प्रशिक्षण पूरा होने के तिथि से मानी जायेगी।

4. कई अध्यापकों में कुछ अध्यापक खासकर महिला अध्यापक वरिष्ठ होने के बावजूद भी सम्मिलित विद्यालय का प्रभार लेने में आनाकानी कर रहे हैं यह स्थिति स्वीकार न की जाये। किसी भी प्रकार की लापरवाही कर रहे शिक्षकों की कार्यवाही प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

(मनोज कुमार मिश्र)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

हाथरस।